कार्यालय–नगर परिषद्, लखीसराय

Solid Waste managements Rules 2016 के तहत ठोस कचड़ा के प्रसंस्करण एवं अन्य कार्य हेतु, भूमि लीज/किराया/क्रय पर लेने हेतु प्रस्ताव/अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना।

आमंत्रण सूचना संख्या–04/2026–27

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–610 दिनांक–26.02.2019 एवं पत्रांक–04 दिनांक–08.04.2019 एवं विभागीय पत्रांक–13/न0वि0स्व0नि0/NGT-07/2024 एवं माननीय NGT द्वारा पारित आदेश O.A. No. 606/2018, दिनांक–14.12.2020 के अनुपालन के आलोक में Solid Waste managements Rules 2016 के तहत ठोस कचड़ा के प्रसंस्करण एवं अन्य कार्य हेतु लखीसराय नगर परिषद् में **Material Recovery Facility (MRF) (14 TDP)** एवं **Compost Plant (22.5 TPD)** हेतु न्यूनतम 2 (दो) एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसे नगर परिषद्, लखीसराय सतत लीज लेना चाहती है। इस कार्य हेतु निम्नांकित मापदंड निर्धारित की जाती है।

1. भूमि पर जाने का पहुँच पथ कम से कम 16 फीट चौड़ा रास्ता होना चाहिए।
2. भूमि से 200 मीटर तक में नदी, तालाब, झील, Commercial/ Residential/ institutional buldings इत्यादि नहीं हो।
3. भूमि जल–जमाव/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ग्रसित नहीं होनी चाहिए।
4. भूमि नगर परिषद लखीसराय की सीमा से 05 कि0मी0 के अन्दर होना चाहिए।
5. भूमि के ऊपर से हाई टेन्सन विद्युत तार नहीं गुजरना चाहिए।
6. भूमि सभी प्रकार से विवाद रहित होना चाहिए।
7. भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होना चाहिए।
8. वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनकी भूमि उपर्युक्त मानदण्डों के अनुकूल है तथा जो अपनी जमीन सतत लीज पर देना चाहते है वे अपने प्रस्ताव से संबंधित निम्नांकित विवरणी कार्यालय अवधि में दिनांक–15.06.2026 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करें एवं जमीन से संबंधित विवरणी प्राप्त होने के बाद कागजातों की छानबीन एवं स्थल की जाँच की जाएगी। तत्पश्चात उपर्युक्त निर्धारित मापदण्ड (क्रमांक 1 से 08) के अनुकूल होने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
9. संबंधित जमीन का एल0पी0सी0 भूमि लगान का अद्यतन रसीद एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजात।
10. संबंधित जमीन के खतियान की सत्यापित प्रति।
11. संबंधित जमीन की वंशावली, जो सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया गया हो।
12. संबंधित भूमि पर किसी प्रकार का विवाद/मुकदमा/बकाया आदि नहीं होने का शपथ–पत्र।
13. संबंधित भूमि किसी बैंक/वित्तिय संस्था को मोर्गेज नहीं किये जाने का शपथ–पत्र।
14. संबंधित भूमि भू–हदबंदी पर्चा, भू–दान पर्चा सैरात एवं कैसरे हिन्द से मुक्त होने का शपथ–पत्र।
15. चयनित भूमि के स्वामी को सतत लीज हेतु निबंधित डीड सम्पादित करना होगा।
16. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये प्रस्ताव/अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण को रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. विशेष जानकारी हेतु नगर परिषद लखीसराय कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद लखीसराय

PR- 004269 (B & C) 2026-27

विस्तृत सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार